

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

एस0बी0आई0 ए0डी0बी0 शाखा धौलपुर

बनाम सुजान सिंह मीणा

किस्म मुकदमा:-अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002


मु0 नम्बर ...38 सन् 2019

RCMS No. 2019/000

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुय
09.08.19	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्वोरिटार्इजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री कमल कुमार एस0बी0आई0 ए0डी0बी0 शाखा धौलपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता श्री सुजानसिंह मीणा पुत्र तेजसिंह निवासी सन्तनगर रोड़ महाराज के पीछे बाड़ी धौलपुर के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 21.12.2013 को 6,50,000/-रुपये मात्र (छः लाख पचास हजार रूपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:- कन्वर्ट प्लॉट जिसका एरिया 47 गुणा 47 फुट है, जो सन्तनगर रोड़ महाराज बाग के पीछे बाड़ी धौलपुर राज0 में स्थित है। जिसकी सीमाए निम्न प्रकार है:- पूर्व में मानसिंह मीणा का मकान, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में मकान कल्याणसिंह, दक्षिण में लक्ष्मण जाटव जमीन की है। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 30.11.2018 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 30.04.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 5,64,517/- रूपये मात्र दिनांक 30.04.2019 तक एवं इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चें अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।</p> <p>हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज</p>	<p>549-581 9.8.19</p>

रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पत्ति कन्वर्ट प्लॉट जिसका एरिया 47 गुणा 47 फुट है, जो सन्तनगर रोड महाराज बाग के पीछे बाड़ी धौलपुर राज0 में स्थित है। जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार है:- पूर्व में मानसिंह मीणा का मकान, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में मकान कल्याणसिंह, दक्षिण में लक्ष्मण जाटव जमीन की है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

आदेश आज दिनांक 09.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर